न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
प्रकरण संख्या 114/2025 (GCMS: 2025/123)
राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्री लक्ष्मीनारायण** पुत्र श्री रघुवीर सिंह उम्र 56 साल जाति सैन निवासी सिंधु कॉलोनी, 2 ई छोटी, श्रीगंगानगर मोबाईल नं. 98282-40215
2. **फर्म/दुकान भाटी डेयरी,** एसएसबी रोड़, 3 ई छोटी , श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या 116/2025 (GCMS: 2025/123)
राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्री लक्ष्मीनारायण** पुत्र श्री रघुवीर सिंह जाति सैन निवासी सिंधु कॉलोनी, 2 ई छोटी, श्रीगंगानगर मोबाईल नं. 98282-40215
2. **फर्म/दुकान एसएसबी रोड़ स्थित भाटी डेयरी,** श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण स्वयं उपस्थित हुआ एवं विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित हुए। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया, शामिल मिसल किया गया। विभागीय प्रतिनिधि को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में कथन किया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक दिनांक 27.12.2024 एवं दिनांक 18.03.2025 को अवैध डीजल/पेट्रोल की बिक्री की शिकायत की जांच भाटी डेयरी, एसएसबी रोड़, 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर पहुंचे। दोनों बार मौके पर लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री रघुवीर सिंह उपस्थित मिले, जिनकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई।दिनांक 18.03.2025 को दुकान की जांच करने पर दुकान में 07 लीटर पेट्रोल मय 05 प्लास्टिक बोतल 10 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

कैनी एवं 02 प्लास्टिक कीप पायी गई एवं दिनांक 27.12.2024 को दुकान की जांच करने पर दुकान में 45 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक कैनी बरंग नीला , 01 प्लास्टिक कीप पायी गई। जिन्हें लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री रघुवीर सिंह ने उक्त समस्त सामग्री स्वयं का होना स्वीकार किया। मौके पर उक्त पेट्रोल से सम्बन्धित कोई बिल आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि लक्ष्मीनारायण ने पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर डीजल–पेट्रोल का बेचान एसएसबी रोड स्थित दुकान, 100 फुट रोड़ के किनारे पर, श्रीगंगानगर पर करता है। वक्त पूछताछ मौके पर लक्ष्मीनारायण द्वारा पेट्रोल को बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/ अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि बिना अनुज्ञापत्र के पेट्रोल के बेचान के कारण दिनांक 27.12.2024 को 07 लीटर पेट्रोल मय 05 प्लास्टिक बोतल, 10 लीटर पेट्रोल मय 01 प्लास्टिक कैनी एवं 02 प्लास्टिक कीप, को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया एवं दिनांक 18.03.2025 को बिना अनुज्ञापत्र के पेट्रोल के बेचान के कारण 45 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक कैनी बरंग नीला, 01 प्लास्टिक कीप को जरिये फर्द जब्ती को जब्त किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण से 27.12.2024 एवं 18.03.2025 को पेट्रोल का बेचान करते हुए पाया गया है जो साबित करता है कि अप्रार्थी अवैध रूप से पेट्रोल के बेचान के कार्य में लिप्त है। इसलिए उससे दिनांक 27.12.2024 को जब्त किया गया 45 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री एवं दिनांक 18.03.2025 को जब्त किया गया [illegible] लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री राजसात करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:16 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण ने बिना अनुमाति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण कर विनियमन और अनाचरण निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिए उससे दिनांक 27.12.2024 को जब्त किया गया 45 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री एवं दिनांक 18.03.2025 को जब्त किया गया 17 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री राजसात करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण ने दोनों प्रकरणों में अलग अलग जवाब पेश किया है।

प्रकरण संख्या 116/2025

अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी दुग्ध डेयरी संचालित करता है जिसमें दुग्ध उत्पदों की ही खरीद बिक्री की जाती है। डेयरी का रिटेल उपभोक्ता, दुपहिया व चौपहिया दुग्ध सप्लायर आते है, जिनसे हम दुग्ध उत्पाद खरीद बिक्री करते है। डेयरी पर दुग्ध उत्पाद सत्लाई करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के दुपहिया या चौपहिया वाहन सप्लायर सामाजिक व्यवहार में असुविधा से बचने के लिए अक्सर अपनी सामग्री, सामान, फल सब्जी आदि थोडे समय हेतु डेयरी पर रख जाते है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जांच दिनांक को भी किसी ग्रामीण सप्लायर ने गांव में अपने आवास पर रंग में मिलाने वाली तरल वस्तु बताकर डेयरी सामग्री रखी भी जिसकों वरवक्त जांच अधिकारी ने पेट्रोल बताया जबकि उन्हें अवगत करा दिया था कि सामग्री किसी और की है, रंग में मिलाने का तेल है, जिसके मालिक हम नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या 114/2025

अप्रार्थी ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि प्रार्थी दुग्ध की डेयरी संचालित करता है जिसमें दुग्ध उत्पादों की ही खरीद बिक्री की जाती है। डेयरी पर रिटेल उपभोक्ता, दुपहिया या चौपहिया दुग्ध सप्लायर आते है जिनसे हम दुग्ध उत्पाद खरीद बिक्री करते है।

उनके आगे यह भी कथन किया है कि प्रार्थी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के कारण जांच दिनांक को प्रार्थी का रिश्तेदार दुकान पर था जिसके पास पास कोई जानकार मिस्त्री आया जिसने थैले में कुछ बोतल जिनमें तरल वस्तु रखी थी, जिसको कुछ समय में वापस ले जाने का बोला।

उनका आगे यह भी कथन किया है कि जांच अधिकारी ने बोतल में तरल पदार्थ को पेट्रोलियम पदार्थ बताकर उठा लिया। उक्त तेल बाईक सर्विस में इंजन धोने के लिये यह तेल प्रयोग में लिया जायेगा, जिसकी मात्रा अलग अलग बोतलों में महज 10 से 12 लीटर ही थी जो कि सामान्य ओर काफी कम है।

उनका आगे यह भी कथन है कि दुग्ध डेयरी स्थल पर व्यवहारिक और व्यापारिक दृष्टि से भी पेट्रोलियम पदार्थ का कारोबार संभव व उचित नहीं है क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ की गंध के कारण उपभोक्ता दुग्ध उत्पाद लेने से परहेज करेंगे, दुग्ध तरल पदार्थ होने के कारण प्लास्टिक कैन व कीप दुग्ध विक्रेता सामान्य तौर पर प्रयोग में लेते है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी नोटिस में अंकित किसी प्रकार का क्लेम या दावा प्रस्तुत नहीं करता है, प्रार्थी को नियमों की जानकारी के अभाव में डेयरी से मिली सामग्री उसे वापस लेने या सरकारी कोष में जमा करने बाबत माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदरपूर्वक स्वीकार होगा। इसलिए उसके विरूद्ध प्रस्तुत सभी प्रकरणों को निस्तारित करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मैने, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण के द्वारा जवाब में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 27.12.2024 एवं 18.03.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ टीम एसएसबी रोड़ पर स्थित भाटी डेयरी, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर उपस्थित व्यक्ति ने पूछने पर उसने अपना परिचय लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री रघुवीर सिंह जाति सैनी निवासी संधु कालोनी, 2 ई छोटी, श्रीगंगानगर बताया, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। दुकान की जांच करने पर दुकान में दिनांक 27.12.2024 को 45 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक कैनी बरंग नीला, 01 प्लास्टिक कीप पायी गई एवं दिनांक 18.03.2025 को 07 लीटर पेट्रोल मय 05 प्लास्टिक बोतल, 10 लीटर पेट्रोल मय 01 प्लास्टिक कैनी एवं 02 प्लास्टिक कीप पायी गई। मौके पर पूछताछ पर लक्ष्मीनारायण द्वारा पेट्रोल बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। बिना अनुज्ञापत्र के पेट्रोल बेचान के कारण दिनांक 27.12.2024 को 45 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक कैनी बरंग नीला, 01 प्लास्टिक कीप एवं दिनांक 18.03.2025 को 07 लीटर पेट्रोल मय 05 प्लास्टिक बोतल, 10 लीटर पेट्रोल मय 01 प्लास्टिक कैनी एवं 02 प्लास्टिक कीप को जब्त किया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। **अप्रार्थी** द्वारा पेट्रोल की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 03 के तहत जारी **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अना[illegible]ण) आदेश 2005 के क्लाज 02(थ), 03(4), 04** का स्पष्ट [illegible] दिनांक 27.12.2024 को जब्तशुदा 45 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री [illegible] एवं दिनांक 18.03.2025 को जब्तशुदा 17 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री को राजसात करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण **पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं।** आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:—

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण से दिनांक 27.12.2024 को 45लीटर पेट्रोल एवं अन्य सामग्री एवं दिनांक 18.03.2025 को 17 लीटर पेट्रोल एवं अन्य सामग्री को बेचान करने के कारण जब्त की गई है। अप्रार्थी द्वारा पेट्रोल को बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र/बिल या अन्य अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण पेट्रोल **अवैध रूप से बेचान के कार्य में लिप्त है।**

यह सही है कि सम्बन्धी पक्षों को न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों (clean hand) से हीं आना चाहिए जो पक्षकार न्यायालयों में स्वच्छ हाथों (clean hand) से नहीं जाते है वे किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने के हकदार नहीं हो सकते है। अप्रार्थी से दिनांक 27.12.2024 को 45 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री एवं दिनांक 18.03.2025 को 17 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री जब्त किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण बार-बार पेट्रोल बेचान करते पाया गया है, जो साबित करता है कि अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण अवैध पेट्रोल के बेचान के कार्य में लिप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकार अप्रार्थी पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध कारोबार में लगातार कर रहे है जो **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और** ऑटोमोबाईल्स **में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1) की स्पष्ट उल्लंघन है।**

विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाईल **में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 का बिन्दु संख्या 12 निम्न प्रकार से** अवलोकनीय है:

> विलायको के वर्गीकरण के सम्बन्ध में —स्पष्टीकरण पत्रांक पी—3/जयपुर दिनांक 04.06.2002 द्वारा उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर वास्ते जिला रसद अधिकारी जयपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट व उपयुक्त (प्रथम) खाद्य विभाग आपके पत्र क्रमांक रसद/2002/549 दिनांक 06.05.2002 द्वारा चाही गई जानकारी निम्नलिखित है:
>
> 1. पेट्रोलियम उत्पादों का वर्गीकरण — पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थ जिसक फ्लेश प्वाईन्ट 23 अंश से.गे. से नीचे होता है वह सभी वर्ग क में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 65 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे ख में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईंट 65 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 93 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे सभी वर्ग ग में वर्गीकृत किये गये है। ....
>
>   ....
>
>   पेट्रोलियम उत्पाद जैसे एसबीपी स्प्रीट/ एसबीपी सोलवेन्ट, पेन्टेन सिक्सोन, रिसोल, एरोमेक्स, लोमेक्स, फ्लेश प्वाईंट के अभाव में श्रेणी बता पाना मुश्किल है।
> 2. उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थो के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम [illegible] की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर [illegible] पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भण्डारण [illegible] अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।
>
>   ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:16 IST
Reason: Self Attested

जिला कलक्टर

विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के अनुसार **पेट्रोलियम वर्ग ''क'' का 30 लीटर तक भण्डारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है, जबकि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 27.12.2024 को 45 लीटर पेट्रोल एवं दिनांक 18.03.2025 को 17 लीटर पेट्रोल (वर्ग क) का बेचान किया जा रहा था।**

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी ''विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1) के अनुसार 30 लीटर तक पेट्रोलियम पदार्थ का भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) के किया जा सकता है, इससे अधिक भण्डारण करने हेतु अनुज्ञप्ति(License) का होना आवश्यक है जबकि अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण द्वारा विक्रय हेतु अधिकृत अनुज्ञप्ति(License) न होने के बावजूद भी पेट्रोल का विक्रय किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी के पास भी किसी प्रकार की कोई क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने की कोई अनुज्ञप्ति पेश नहीं की है। इसलिए इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण और उसकी फर्म/दुकान भाटी डेयरी पर पर अवैध कारोबार में लिप्त है। इसलिए उक्त अप्रार्थीगण से दिनांक 27.12.2024 को जब्तशुदा 45 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री एवं दिनांक 18.03.2025 को जब्तशुदा 17 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री **राजसात करने योग्य ठहरते है।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी ''विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:16 IST
Reason: SelfAttested

Manju

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1), मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 की धारा 02(थ), 3(4), 04 के प्रावधानों की अवेहलना के कारण जब्तशुदा 45 + 17 कुल 62 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री राजसात किये जाते है।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त 45 लीटर एवं 17 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 45 लीटर पेट्रोल एवं 17 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:16 IST
Reason: SelfAttested